



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट दि. 03-10-2021

एसओजी / सर्विलांस टीम व थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहा फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुए भारी मात्रा में निर्मित/ अर्धनिर्मित असलहों व असलहा बनाने के उपकरणों सहित हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

- एक दर्जन से ज्यादा बने/ अधबने अवैध तमंचे बरामद ।
- भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाने के उपकरण बरामद ।
- सरगना अभियुक्त राजू पूर्व में थाना शिकोहाबाद से अवैध असलहा फैक्ट्री में जा चुका है जेल ।
- अभियुक्त रंजीत उर्फ पप्पे थाना मटसेना का है कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अपराधी ।
- आगामी त्यौहारों व विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से, अवैध तमंचे बनाकर कर रहे थे बिक्री ।
- पुलिस की सक्रियता से अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का हुआ भण्डाफोड ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अशोक कुमार द्वारा आगामी त्यौहार व निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर त्यौहारों व चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अवैध असलहों के विरुद्ध एसओजी/ सर्विलांस टीम के साथ-साथ जनपद के सभी थानों को भी अभियान चलाकर बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02-10-2021 को एसओजी टीम को सूचना मिली कि थाना नारखी क्षेत्र में अवैध असलहों का निर्माण व कारोबार किया जा रहा है । इस सूचना से थाना नारखी पुलिस को अवगत कराते हुए संयुक्त कार्यवाही में ग्राम बछगाँव के पास मकान के पीछे झाड़ियों में समय 17.35 बजे सावधानी पूर्वक घेराबन्दी करते हुए अवैध असलहों का निर्माण कर रहे दो अभियुक्तों को मय भारी मात्रा में बने /अधबने असलहे मय भारी मात्रा में कारतूस व असलहा बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है । बरामदगी एवं गिरफ्तार के आधार पर थाना नारखी पर मु0अ0सं0 349/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूछताछ:- दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग लगभग 10 वर्षों से अवैध असलहा बनाने के कार्य में संलिप्त हैं । यह कार्य आसपास के विभिन्न जनपदों में भी करते रहते हैं । थाना शिकोहाबाद से अभियुक्त राजू पूर्व में मय असलहा फैक्ट्री के गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है । आगामी त्यौहार व होने वाले विधानसभा चुनाव में असलहे की अधिक माँग होने के कारण वर्तमान में हम दोनों साथ मिलकर आर्थिक लाभ हेतु अवैध असलहों का निर्माण व व्यापार करते हैं ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1-राजू पुत्र जगदीश निवासी बछगाँव थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद, स्थाई पता ग्राम मनौरा थाना निधौलीकलॉ जनपद एटा ।

2-रंजीत उर्फ पप्पे पुत्र जलवीर सिंह यादव निवासी दतावली थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद (एचएस नं0 32ए)

विवरण बरामदगी:-

- 1-तमंचा 315 बोर – 09 अदद ।
- 2-तमंचा 12 बोर – 02 अदद ।
- 3-अधबने तमंचे – 04 अदद ।
- 4-तमंचा बनाने की नाल 315 बोर – 11 अदद ।
- 5-तमंचा बनाने की नाल 12 बोर – एक अदद ।
- 6-ड्रिल मशीन सहित भारी मात्रा में असलाह बनाने के समस्त उपकरण ।
- 7-कारतूस जिंदा 315 बोर – 10 अदद ।
- 8-कारतूस जिंदा 12 बोर - 05 अदद ।
- 9-कारतूस खोखा 315 बोर – 03 अदद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रंजीत उर्फ पप्पे उपरोक्त:-

- 1-मु00सं0 09/2003 धारा 364,302,201,307,394 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 04/2007 धारा 384 भादवि थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 14/2007 धारा 2/3गैंगस्टर एक्ट थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 226/2007 धारा 147,148,149,307,506 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 5-मु0अ0सं0 269/2007 धारा 3 .यूपी गुण्डा एक्ट थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 6-मु0अ0सं0 13/2008 धारा 307 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 7-मु0अ0सं0 16/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 8-मु0अ0सं0 299/2009 धारा 307 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 9-मु0अ0सं0 250/2011 धारा 307 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 10-मु0अ0सं0 251/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 11-मु0अ0सं0 143/2009 धारा 3यूपी गुण्डा एक्ट थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 12-मु0अ0सं0 155/12 धारा 147,364 भादवि थाना धिरोर जनपद मैनपुरी ।
- 13-मु0अ0सं0 244/14 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 14-मु0अ0सं0 765/15 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 15-मु0अ0सं0 66/16 धारा 110जी सीआरपीसी थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 16-मु0अ0सं0 379/16 धारा 3यूपी गुण्डा एक्ट थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 17-मु0अ0सं0 501/17 धारा 379 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 18-मु0अ0सं0 58/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 411 भादवि थाना मटसेना फिरोजाबाद ।
- 19-मु0अ0सं0 349/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू उपरोक्त:-

- 1-मु0अ0सं0 225/14 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 349/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

एसओजी / सर्विलांस टीम जनपद फिरोजाबाद:-

- 1-निरीक्षक श्री के0के0 तिवारी प्रभारी एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-उ0नि0 श्री अजय सिंह एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-उ0नि0 श्री अरुण कुमार त्यागी प्रभारी सर्विलांस जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-है0का0 रामअवतार, 5-का0 विजय, 6-का0 मानवेन्द्र एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।
- 7-का0 प्रेम, 8-का0 योगेश, 9-का0 दिलीप एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।
- 10-है0का0 अमित चौहान, 11-का0 रघुराज सर्विलांस टीम फिरोजाबाद ।

थाना नारखी पुलिस टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह थाना नारखी फिरोजाबाद ।

2-उ0नि0 अजीत कुमार चौकी प्रभारी बछगाँव थाना नारखी फिरोजाबाद ।

3-उ0नि0 सुनील कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।

4-है0का0 रिसीपाल, 5-का0 सुभाष, 6-का0 केसराम थाना नारखी फिरोजाबाद ।

अभियुक्तों द्वारा पूर्व में बिक्री किए गए असलहों की बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमों बनाकर कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है ।

नोट:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पुलिस टीम को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है ।